

15.11.2025

वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित मित्तल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित।

साक्ष्य वादी में गवाह पी.डब्ल्यू 2 श्रीमती सरोज नवरतन मित्तल का शपथ-पत्र पेश हुआ, जिससे प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया। वादीगण की ओर से और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। अतः साक्ष्य वादीगण बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 29.11.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।